इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2026—आषाढ़ 9, शक 1948

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2026

क्र. 1414/MGNREGS-MP/NR-1/2026.– "विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025" की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना को अधिसूचित करता है :–

"विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत–जी राम जी) योजना", मध्यप्रदेश"

यह योजना राज्य के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी.

अध्याय- 01

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और परिभाषाएँ

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

i. इस योजना को "विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी – जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) योजना, मध्य प्रदेश" कहा जाएगा।

ii. यह योजना दिनांक 01 जुलाई 2026 से प्रभावशील होगी।

2. परिभाषाएँ :

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां प्रयुक्त सभी शब्दों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम की धारा 2 में दिए गए हैं।

(क) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) "आवेदक" से किसी गृहस्थी का प्रमुख या उसके अन्य वयस्क सदस्यों में से कोई सदस्य अभिप्रेत है, जिसने योजना के अधीन रोजगार के लिए आवेदन किया है;

(ग) जनपद पंचायत ("ब्लाक") से किसी जिले के भीतर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है;

(घ) "केंद्र प्रवर्तित योजना" से ऐसी योजना अभिप्रेत है जिसमें केन्द्र सरकार पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है और राज्य शासन इसका कार्यान्वयन करती है;

(ङ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से किसी जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिए धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य शासन का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "गृहस्थी" से परिवार के ऐसे सदस्य अभिप्रेत हैं जो एक-दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित हैं और, सामान्यतः एक साथ निवास करते हैं तथा सम्मिलित रूप से भोजन करते हैं या एक सामान्य राशनकार्ड रखते हैं;

(छ) "कार्यान्वयन अभिकरण" में योजना के अधीन लिए गए किसी कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य शासन का कोई विभाग, कोई जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम सम्मिलित है;

(ज) "मध्यवर्ती स्तर" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ग) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ग्राम और जिला के बीच का स्तर अभिप्रेत है;

(झ) "राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति" से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा गठित संचालन समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "मानक आवंटन" से केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन को किए गए निधि आवंटन अभिप्रेत है;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ठ) "कार्यक्रम अधिकारी" से योजना को कार्यान्वित करने के लिए धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "ग्रामीण क्षेत्र" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी शहरी स्थानीय निकाय या किसी छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य में कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ण) "योजना (स्कीम)" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन द्वारा अधिसूचित योजना अभिप्रेत है;

(त) "राज्य" से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य परिषद्" से धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् अभिप्रेत है;

(द) "राज्य स्तरीय संचालन समिति" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित संचालन समिति अभिप्रेत है;

(ध) "अकुशल शारीरिक कार्य" से कोई भौतिक कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई वयस्क व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में समर्थ है;

(न) "विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक" से तात्पर्य कार्यों के ऐसे समेकित संकलन से है, जिसमें 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' अंतर्गत प्रस्तावित कार्य शामिल हों, जिन्हें ज़िला और राज्य स्तर पर संकलित किया गया हो, और यह कार्य अनुसूची-एक में निर्दिष्ट कार्यों के चार विषयगत क्षेत्रों के अनुरूप हों;

(प) "विकसित ग्राम पंचायत योजना" से विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित भविष्य के लिए तैयार की गई अभिसरण आधारित स्थानीय विकास योजना अभिप्रेत है, जिसे भागीदारी और साक्ष्य आधारित प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया है और जो धारा 4 की उपधारा (3) में यथा उपबंधित इस अधिनियम के अधीन संकर्मों की पहचान और प्राथमिकता के लिए आधार के रूप में कार्य करती है;

(फ) "मजदूरी दर" से धारा 10 में निर्दिष्ट मजदूरी दर अभिप्रेत है;

(ब) "कार्य" से योजना के अधीन लिए गए या निष्पादित कोई कार्य अभिप्रेत है।

(भ) "अधिनियम" से "विकसित भारत– रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन(ग्रामीण): वीबी– जी राम जी (विकसित भारत– जी राम जी) अधिनियम, 2025' अभिप्रेत है, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो।

अध्याय- 02

उद्देश्य और मार्गदर्शी सिद्धांत

3. उद्देश्य :

(क) इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना है, जिसके लिए ऐसे ग्रामीण गृहस्थों को, जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तत्पर हों, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिवस की संवर्धित वैधानिक मजदूरी-रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढाँचे में अधिक प्रभावी रूप से सहभागिता करने में सक्षम बनाया जा सके।

(ख) लोक कार्यों के माध्यम से सशक्तिकरण, वृद्धि, अभिसरण तथा संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, जो मिलकर "विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक" का निर्माण करेंगे। इसमें जल-सुरक्षा हेतु जल संबंधी कार्यों, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना तथा चरम मौसम घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष कार्यों पर विषयगत ध्यान दिया जायेगा।

(ग) मुख्य कृषि मौसम के दौरान तथा ग्रामीण कार्य बल के लिए मजदूरी-नियोजन गारंटी की दृष्टि से कृषि-मजदूरों की पर्याप्त उपलब्धता को सुगम बनाना।

(घ) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति-आधारित नियोजन तथा समस्त शासकीय सेवाओं की आपूर्ति को संस्थागत रूप प्रदान करना। इसे ग्राम पंचायतों की विविध आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति करने के लिए पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जायेगा, जो भू-स्थानिक प्रणालियों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिला एवं राज्य स्तरीय योजना प्रणाली द्वारा संचालित होगी। इसके अंतर्गत तैयार योजनाएँ जनपद, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर संकलित की जाएंगी।

(ङ) एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से शासन, जवाबदेही एवं नागरिक सहभागिता का आधुनिकीकरण करना, जिसमें विभिन्न स्तरों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम या मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी, रियल-टाइम प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, सक्रिय लोक प्रकटीकरण तथा योजना, लेखा-परीक्षण एवं धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शामिल होगा।

अध्याय - 03

गारंटी, समय सीमा और शर्तें

4. गारंटी :

(क) राज्य शासन ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तत्पर हैं, इस योजना के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन से अन्यून के लिए गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराएगी।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसने योजना के अधीन उसे दिया गया कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिए निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ग) दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा अथवा किसी भी स्थिति में कार्य किये जाने की तिथि से पखवाड़े (15 दिन) के अपश्चात सुनिश्चित किया जाएगा।

(घ) यदि योजना के अधीन रोजगार के लिए किसी आवेदक को रोजगार चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिससे किसी अग्रिम आवेदन की दशा में रोजगार चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, पंद्रह दिन के भीतर ऐसा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हक़दार होगा।

(ङ) यदि मस्टर रोल बंद करने की तारीख के पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है, तब मजदूरी की वांछा करने वाले व्यक्ति मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के पश्चात से भुगतान की तिथि तक, प्रत्येक दिन के विलंब के लिए, बकाया मजदूरी के 0.05% की दर से, प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार होंगे।

5. मांग हेतु शर्तें :

(1) किसी पंजीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा; और प्रत्येक ऐसा आवेदन अनिवार्यतः पंजीकृत

होगा और तारीख के साथ रसीद जारी की जाएगी, जिसे दिए गए डिजिटल प्लेटफार्म में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) राज्य, वंचित समूहों की आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से सत्यापन करेगा और उन्हें कार्य प्रदान करेगा।

(3) कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में तथा वार्ड सदस्य को या ग्राम पंचायत को या कार्यक्रम अधिकारी को या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किन्हीं अन्य साधनों के माध्यम से किया जा सकेगा।

(4) कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह के रूप में संयुक्त रूप से प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

अध्याय - 04

आयोजना (प्लानिंग) फ्रेमवर्क

6. विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) :

(1) विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार अभिसरण-आधारित स्थानीय विकास योजना, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा एक सहभागी एवं साक्ष्य आधारित प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जायेगा और जो इस योजना के तहत कार्यों की पहचान तथा प्राथमिकता का आधार बनेगी।

(2) पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर, निदिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार, एक व्यवस्थित और सहभागी योजना तैयार की जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनायें, ग्राम पंचायतों द्वारा जीआईएस- आधारित तकनीक, पीएम गति शक्ति लेयर्स और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके तैयार की जाएंगी और अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। जनपद पंचायत, जिला पंचायत या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों को भी अपेक्षित आउटपुट और परिणामों के साथ संबंधित पंचायतों के समक्ष रखा जायेगा। सभी ग्राम पंचायतों में उपयुक्त परिसम्पत्तियों और परिणामों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को जनपद, जिला और राज्य स्तर पर संकलित किया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, व्यापक ग्रामीण विकास रणनीतियों और संतृप्ति-आधारित आयोजना के साथ सामंजस्य बिठाया जा सके। विकसित ग्राम पंचायत योजना अंतर्गत चिन्हित सभी कार्यों को 'विकसित भारत - राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक' में समेकित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास मानदंडों ,जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की समीप्यता भी है, के आधार पर अवधारित प्रवर्ग जैसे क,ख,ग (A,B,C) आदि में उनके वर्गीकरण पर आधारित संतृप्ति-मोड योजना तैयार करेगी, ताकि पंचायतों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसे सभी कार्य विशेष रूप से अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना से ही लिए जाएंगे, जिन्हें पीएम

गति शक्ति, GIS-आधारित तकनीकी और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके तैयार किया गया है।

(4) वार्षिक योजनाएं मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(5) विकसित ग्राम पंचायत योजना में चिन्हित किए गए कार्य विभिन्न केंद्रीय, राज्य और स्थानीय योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। ऐसे अभिसरण के लिए ली जाने वाली योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

(6) विकसित ग्राम पंचायत योजनायें और वार्षिक श्रम मांग की तैयारी करते समय, अधिसूचित मुख्य कृषि अवधियों के दौरान निष्पादन के लिए किसी भी कार्य को प्रस्तावित नहीं किया जाएंगा।

7. **अभिसरण तथा एकीकृत योजना के लिए ढांचा -** ग्रामीण क्षेत्रों में लिए गए सभी कार्यों की सुसंगत योजना, निष्पादन और मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत अभिसरण ढांचा स्थापित किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए—

(1) अभिसरण तथा संतृप्ति आधारित नियोजन के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय, राज्य या स्थानीय योजनाओं को, विकसित ग्राम पंचायत योजना में एक एकीकृत योजना प्रक्रिया के अधीन लाया जाएगा।

(2) सभी विद्यमान परिसंपत्तियों और प्रस्तावित कार्यो को, चाहे वे इस योजना के तहत वित्तपोषित हों या किसी अन्य केंन्द्रीय, राज्य या स्थानीय योजना के माध्यम से, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल का उपयोग करके "विकसित भारत - राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक" के माध्यम से अनिवार्य रूप से पंजीकृत और ट्रैक किया जाएगा। यह पोर्टल ग्रामीण लोक कार्यों का एक व्यापक रजिस्टर संधारित करेगा, कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकेगा, विभिन्न विभागों के निवेशों को एकीकृत करेगा तथा सभी कार्यों को संतृप्ति परिणामों के साथ संरेखित करेगा।

(3) जल सुरक्षा, प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित अवसंरचना तथा मुख्य मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष कार्यों को समाहित करते हुए ग्रामीण लोक निर्माण कार्यों के लिए एकल डिजिटल बैकबोन तैयार की जायेगी; तथा संपूर्ण प्लानिंग विकसित ग्राम पंचायत योजना

की तैयारी के साथ शुरू होने वाली बॉटम-अप प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करेगी। विकसित ग्राम पंचायत योजना को क्रमशः जनपद, जिला एवं राज्य स्तर पर संकलित किया जायेगा तथा संकलित राज्य योजना को अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएंगा। वार्षिक योजनाएं मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(4) 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक' राज्यों, जिलों और पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिकता वाली अवसंरचना संबंधी आवश्यकता की पहचान करने, कार्यों की डिज़ाइन का मानकीकरण करने, और यह सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा कि सार्वजनिक निवेश, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला स्तर पर संतृप्ति परिणामों हेतु मापन योग्य योगदान करते हों।

(5) यह संस्थागत संरचना विभागों और योजनाओं में एकल योजना, बहुवित्तपोषण दृष्टिकोण, अभिसरण का संवर्धन सुनिश्चित करेगी तथा सभी ग्रामीण विकास प्रयासों को उत्पादक, प्रतिरोधी तथा परिवर्तनकारी ग्रामीण आस्तियों के सृजन की दृष्टि से 'विकसित भारत @2047' के अनुरूप करेगी।

अध्याय– 05
राज्य की संस्थागत संरचना

8. राज्य ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषद् :

(1) राज्य स्तर पर, एक राज्य ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषद् होगी, जिसे "मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषद्" कहा जाएगा। "मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषद्" की एक राज्य स्तरीय सामान्य सभा होगी, जिसमें निम्न पदाधिकारी व सदस्य शामिल होंगे:

(क) मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन - अध्यक्ष।

(ख) मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग - उपाध्यक्ष।

(ग) मंत्री- वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, कृषि, जनजातीय और अनुसूचित जाति कल्याण, श्रम, विधि और विधायी कार्य, मध्य प्रदेश शासन।

(घ) मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन।

(ङ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव - पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, कृषि, जनजातीय और अनुसूचित जाति कल्याण, श्रम, विधि और विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पशुपालन, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, पर्यावरण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, मत्स्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।

(च) आयुक्त/संचालक, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी – जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) योजना", मध्य प्रदेश - सदस्य सचिव।

(छ) राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, श्रमिक संगठनों और समाज के कमजोर वर्ग से नामनिर्दिष्ट पंद्रह से अनधिक गैर सरकारी सदस्य होंगे: परन्तु नामनिर्देशित गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य महिलाएं होंगी: परंतु यह और कि गैर सरकारी सदस्यों के एक

तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के होंगे।

(2) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा राज्य परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिनके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो विहित की जाये।

(3) मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषद् के कर्तव्य और कार्य:

(क) योजना और राज्य में उसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य शासन को सलाह देना;

(ख) समय-समय पर मॉनीटरिंग और प्रतितोषण (शिकायत निवारण) तंत्र का पुनर्विलोकन करना तथा सुधारों की अनुसंशा करना;

(ग) राज्य में इस अधिनियम और योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना तथा ऐसे कार्यान्वयन का केन्द्रीय परिषद् के साथ समन्वय करना;

(घ) राज्य शासन द्वारा राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना;

(ङ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य जो उसे केन्द्रीय परिषद् या राज्य शासन द्वारा समनुदेशित किया जाए।

(च) राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा, वीबी-जी राम जी अधिनियम और योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी प्रकरणों में आवश्यक निर्णय लेने के लिए सशक्त रहेगी व समस्त वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों/शक्तियों का निर्वहन करेगी और वह ऐसे प्रयोजनों के लिए अन्य समितियों और सक्षम प्राधिकारियों को आवश्यक कृत्य व अधिकार/शक्तियां प्रत्यायोजित करेगी।

(4) राज्य परिषद् को, राज्य में संचालित योजना का मूल्यांकन करने तथा उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े संग्रहित करवाने की शक्ति होगी।

9. राज्य स्तरीय संचालन समिति :

(1) राज्य स्तर पर, योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन, समन्वय तथा अनुश्रवण किये जाने हेतु एक राज्य स्तरीय संचालन समिति होगी।

(2) राज्य स्तरीय संचालन समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव या राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर मुख्य सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जाएगी और यह निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव;

(ख) आयुक्त/संचालक, विकसित भारत— रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी— जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) योजना", मध्य प्रदेश - सदस्य सचिव;

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव- पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, कृषि, जनजातीय और अनुसूचित जाति कल्याण, श्रम, विधि और विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पशुपालन, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, पर्यावरण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, मत्स्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग;

(घ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नामित 04 विषय विशेषज्ञ;

(ङ) तकनीकी या अनुसंधान संस्थानों के 03 प्रतिनिधि; और

(च) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित एक सदस्य।

(3) राज्य स्तरीय संचालन समिति-

(क) राज्यव्यापी योजना और अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण की देख रेख करेगी;

(ख) जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और संकलित राज्य आयोजना की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करेगी;

(ग) राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति के साथ समन्वय करेगी और उससे जारी किए गए निर्देशों को कार्यान्वित करेगी;

(घ) राज्य स्तर पर डिजिटल प्रणालियों, अनुश्रवण व्यवस्थाओं और प्रक्रियात्मक सुधारों में सहयोग करेगी; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो राज्य शासन द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं।

10. मध्यवर्ती पंचायतें :

(1) जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई इस योजना की आयोजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए प्रमुख प्राधिकारी होंगे।

(2) जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिले में योजना के कार्यान्वयन की देख रेख और समन्वय करेगी, जिसमें समेकित जिला स्तरीय कार्ययोजना को अंतिम रूप देना एवं अनुमोदन, कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण, अभिसरण सुनिश्चित करना तथा राज्य शासन/परिषद द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना शामिल होगा।

(3) मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत समग्र जनपद स्तर योजना तैयार करेगी, उसे अंतिम रूप देगी योजना और कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की सहायता करेगी, ग्राम पंचायत तथा जनपद स्तर पर कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, विभागों के साथ मिलकर अभिसरण को सुगम बनाएगी।

(4) वार्षिक योजना मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएगी।

(5) ग्राम पंचायत, गृहस्थियों को पंजीकृत करेगी, कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करेगी और उन पर कार्यवाही करेगी, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को तैयार करेगी, उसे समनुदेशित संकर्मों को निष्पादित करेगी, ऐसे अभिलेखों को बनाए रखेगी जो विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी जो उसे इस स्कीम के अधीन न्यस्त किए जाएं।

11. जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC):

(1) जिला कलेक्टर जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदाभिहित होगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक के कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:—

(क) जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला समग्र योजना के समेकन और उसे अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होगे तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला स्तर पर स्कीम के अभिसरण, कार्यान्वयन और अनुश्रवण की देखरेख करेगे;

(ख) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम के उपबंधों का और केन्द्र सरकार तथा राज्य शासन एवं परिषद् द्वारा जारी निर्देशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और ऐसी प्रशासनिक स्वीकृतियां और अनापत्तियॉ/अनुमतियाँ देंगे जो स्कीम के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हों, जिसमें डिजिटल भू-स्थानिक और मॉनिटरिंग प्रणालियों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृतियां और अनापत्तियाँ/अनुमतियाँ भी शामिल हैं;

(ग) जिला कार्यक्रम समन्वयक, 'कार्यक्रम अधिकारियों' के साथ समन्वय स्थापित करेंगे, और इस अधिनियम तथा योजना के तहत स्थापित अनुश्रवण ढांचे, प्रबंधन सूचना प्रणाली और जवाबदेही तंत्र का उपयोग करते हुए उनके कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करेंगे;

(घ) जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना के तहत लिए गए कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे, गुणवत्ता और उत्पादकता मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे, और केंद्र सरकार/राज्य शासन/परिषद द्वारा जारी/अधिसूचित 'डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना' तथा निर्दिष्ट 'शिकायत निवारण प्रणालियों' के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निवारण करेंगे;

(ङ) जिला कार्यक्रम समन्वयक, अधिकारिता के अधीन आने वाले जिले के लिए एक संकलित आयोजना तैयार करेंगे; यह आयोजना अनुमोदित 'विकसित ग्राम पंचायत योजना', 'जनपदों की संकलित आयोजनाओं', और 'जिला पंचायतों' से प्राप्त प्रस्तावों को सम्मिलित कर तैयार की जाएगी।

12. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद स्तर):

(1) प्रत्येक जनपद पंचायत में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को कार्यक्रम अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

(2) कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी योजना के अधीन जनपद स्तर पर पंचायत को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करेगा।

(3) कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में कार्यों से उद्भूत होने वाले नियोजन अवसरों के साथ नियोजन के लिए मांग की पूर्ति के मध्य सामंजस्य स्थापित `करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) कार्यक्रम अधिकारी, अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं तथा मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समेकन करके अपनी अधिकारिता के अधीन खंड के लिए समेकित योजना तैयार करेगा।

(5) उप-धारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे--

(क) जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रारंभ किए गए सभी कार्यों और परियोजनाओं का अनुश्रवण करना, और उनकी 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करना;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पात्र गृहस्थियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करना और उसका भुगतान सुनिश्चित करना;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट डिजिटल और बायोमेट्रिक-प्रमाणित भुगतान प्रणालियों के माध्यम से जनपद पंचायत अंतर्गत योजना के तहत नियोजित सभी मजदूरों को मजदूरी का त्वरित और उचित भुगतान सुनिश्चित करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा ग्राम सभा द्वारा संचालित की जाती हैं और ऐसी संपरीक्षाओं से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों तथा निष्कर्षों पर समयोचित तथा समुचित कार्यवाही की जाती है;

(ङ) जनपद अंतर्गत, योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी शिकायतों और व्यथाओं का इस अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से शीघ्रता से निपटारा करना;

(च) इस अधिनियम के अंतर्गत कैंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुश्रवण, उत्पादकता और पारदर्शिता फ्रेमवर्क के अनुपालन हेतु जनपद अंतर्गत प्रारंभ किए गए सभी कार्यों की जियो-टैगिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली अंतर्गत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना;

(छ) योजना के अधीन संतृप्ति आधारित आयोजन तथा संकर्म के निष्पादन की सहायता करने के लिए जनपद स्तर पर अंतर्विभागीय अभिसरण को सुगम बनाना ; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य जो इस अधिनियम के अधीन जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा राज्य शासन/परिषद् द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए।

(6) कार्यक्रम अधिकारी अपने कार्यों का निष्पादन जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन करेगा।

13. ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व :

ग्राम पंचायत के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे:

(क) गृहस्थियों का पंजीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना;

(ख) कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करना और ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड का रिकॉर्ड रखना;

(ग) विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार करना;

(घ) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की अनुशंसाओ पर विचार करने के पश्चात्, कार्य की मांग को विचार में लेते हुए, संतृप्ति आधार पर विकसित ग्राम पंचायत परियोजना तैयार करेगी;

(ङ) वार्षिक योजनाएं मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(च) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली स्कीम के अधीन उसकी लागत के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्यों का आवंटन करेगा;

(छ) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित का प्रदाय करेगा;

(अ) उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य के लिए मस्टर रोल; और

(आ) ग्राम पंचायत के निवासियों को अन्यत्र उपलब्ध रोजगार के अवसरों की एक सूची।

(ज) ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच रोजगार के अवसरों का आवंटन करेगी तथा उनसे कार्य पर आने के लिए कहेगी;

(झ) इस स्कीम के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किए गए कार्य अपेक्षित तकनीकी मानक और मानदण्ड पूरा करें;

(ञ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उसे आवंटित कार्यों का निष्पादन करना; और

(ट) ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर विकसित ग्राम पंचायत योजना से स्कीम के अधीन कोई कार्य ले सकेगी, जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाए।

14. ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण :

(1) ग्राम सभा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों के निष्पादन की निगरानी एवं समीक्षा करेगी।

(2) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर योजना के अधीन लिए गए सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा, ऐसी रीति में, जो केंद्र सरकार द्वारा जारी/विहित की जाए, करेगी।

(3) ग्राम पंचायत, सामाजिक संपरीक्षा के संचालन के लिए अपेक्षित सभी अभिलेख और दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत मस्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिकाएं, स्वीकृति आदेश, डिजिटल अभिलेख, जियो-टैग्ड फोटोग्राफ और अन्य सभी संबंधित लेखा अभिलेख और दस्तावेज भी हैं, चाहे भौतिक रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में संधारित हों, ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी।

अध्याय– 06

पंजीकरण और रोज़गार गारंटी कार्ड

15. गृहस्थियों का पंजीकरण :

(1) किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक गृहस्थी का प्रत्येक वयस्क सदस्य, गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, उस ग्राम पंचायत को गृहस्थी के सदस्य के नाम, आयु और पता प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, जहां रोजगार चाहने वाला व्यक्ति –

(क) कोई एकल महिला; या

(ख) दिव्यांग व्यक्ति; या

(ग) 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति; या

(घ) कोई मुक्त बंधुआ श्रमिक मजदूर; या

(ङ) किसी विशेष रूप से वंचित जनजातीय समूह से संबंधित व्यक्ति; या

(च) कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति।

(3) एक अलग रंग का 'विशेष ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड', कार्य प्रदाय करने, कार्य मूल्यांकन और कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं में विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जैसा भी लागू हो।

16. 'ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड' जारी करना :

(1) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर एक 'ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड' जारी करेगी, यदि वह आवश्यक जाँच-पड़ताल करने के बाद इसे उचित पाती है। इस कार्ड में एक विशिष्ट 'ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड' संख्या के साथ-साथ पंजीकृत वयस्क सदस्यों के विवरण, उनके छायाचित्र, बैंक या डाकघर खाता संख्या, बीमा पॉलिसी संख्या और आधार संख्या (यदि कोई उपलब्ध हो) भी दर्ज होगी।

(2) जारी किया गया ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड तीन वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।

(3) उक्त अवधि के उपरांत सम्यक् सत्यापन के पश्चात् इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

(4) निम्नलिखित में से किसी भी कारण के अलावा किसी भी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा-

(क) जहां यह डुप्लिकेट पाया जाता है;

(ख) जहां पूरी गृहस्थी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया हो और अब गांव में निवास न करता हो; या

(ग) जहां पंजीकृत गृहस्थी के सभी वयस्क सदस्यों का निधन हो गया हो।

(5) राज्य शासन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में निम्नलिखित ब्यौरो को नियमित रूप से अद्यतन करने की व्यवस्था करेगी, जिसमें योजना के अधीन दी गई प्रमुख गारंटियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा, जो निम्नलिखित हैं:-

(क) दिवसों की संख्या जिनके लिए कार्य की मांग की गई है;

(ख) आवंटित कार्य दिवसों की संख्या;

(ग) मस्टर रोल अनुक्रमांक सहित आवंटित कार्य का विवरण;

(घ) माप के ब्यौरे;

(ङ) भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता यदि कोई हो;

(च) भुगतान की गई मजदूरी की तिथिवार राशि;

(छ) विलंब के लिए प्रतिकर भुगतान, यदि कोई है;

(ज) सृजित परिसंपत्ति यदि कोई है।

(6) प्रत्येक मज़दूर को उसकी बात सुने जाने का और किसी शिकायत को मौखिक अथवा लिखित रूप से इस योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के तहत निपटारा किए जाने हेतु सभी क्रियान्वयन स्तरों पर, पंजीकृत कराये जाने का अवसर होगा।

17. विस्थापन की स्थिति में ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी करना :

(1) इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी और भूकंप जैसी आपदा की दशा में जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी

का व्यापक विस्थापन होता हो, इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य -

(क) पंजीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त कर सकेंगे;

(ख) अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत को कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे; और

(ग) किसी हानि या विनाश की दशा में, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के पुनः पंजीकरण और पुनः जारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) ऐसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डो के ब्यौरे जिला कार्यक्रम समन्वयक को संसूचित किए जाएंगे।

(3) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी किया गया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, मूल निवास स्थान पर पुनः पृष्ठांकित किया जाएगा और सुधार होने पर मूल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा।

(4) उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी के 125 दिनों के गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी।

अध्याय-07

कार्य की मांग और आवंटन

18. कार्य की मांग :

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा; और प्रत्येक ऐसा आवेदन अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत होगा और तारीख के साथ रसीद जारी की जाएगी, जिसे दिए गए डिजिटल प्लेटफार्म में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) राज्य, वंचित समूहों की आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से सत्यापन करेगा और उन्हें कार्य प्रदान करेगा।

(3) कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में तथा वार्ड सदस्य (पंच) को या ग्राम पंचायत को या कार्यक्रम अधिकारी को या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किन्हीं अन्य साधनों के माध्यम से किया जा सकेगा।

(4) कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह के लिए किया जा सकेगा।

(5) किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार के लिए आवेदन किए जाने वाले दिनों की संख्या पर, या उसे वास्तव में प्रदान किए जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, बशर्ते कि यह परिवार के समग्र गारंटी के अधीन हो।

(6) साधारणतया, कार्य के लिए आवेदन कम से कम छह दिन के निरंतर कार्य के लिए होने चाहिए।

(7) इस योजना में अग्रिम आवेदन का प्रावधान रहेगा, अर्थात ऐसा आवेदन जो उस तिथि से पहले प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिस तिथि से रोजगार की मांग की गई है।

(8) स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में उपबंध रहेगा परंतु यह तब, जब ततसंबंधी अवधियां, जिनके लिए रोजगार की वांछा की गई है, ओवरलैप (अतिव्यापित) नहीं होती है।

19. कार्य का आवंटन:

(1) ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आवेदक को स्कीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान किया जाएगा।

(2) महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई लाभार्थियों में ऐसी महिलाएं हों, जो पंजीकृत हैं और कार्य के लिए जिन्होंने अनुरोध किया है। एकल महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(3) ऐसे आवेदकों को, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेजकर या संसूचना के किसी प्रभावी माध्यम से या जिला, मध्यवर्ती या ग्रामस्तर पर पंचायतों के कार्यालय में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर लिखित रूप में इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

(4) उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य शासन या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

(5) जहां तक संभव हो, आवेदक को, उस ग्राम से, जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर ही नियोजन प्रदान किया जाएगा।

(6) स्कीम के अधीन कोई नया कार्य तब आरंभ किया जा सकेगा, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, परन्तु यह शर्त राज्य शासन द्वारा यथा अवधारित पहाड़ी क्षेत्रों और वन रोपण संक्रमों के संबंध में नए कार्यों के लिए लागू नहीं होगी।

(7) यदि रोज़गार पाँच किलोमीटर के दायरे से बाहर प्रदान किया जाता है, तो मज़दूरों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मज़दूरी के रूप में मजदूरी की दर का 10 प्रतिशत अधिक भुगतान किया जायेगा।

(8) रोजगार की अवधि एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक के साथ कम से कम निरंतर 6 दिन के लिए होगी।

अध्याय-08

मस्टर रोल, उपस्थिति और माप

20. मस्टर रोल :

(1) इस अधिनियम के अधीन किए गए कार्यों के लिए मस्टर रोल डिजीटल प्रणाली के माध्यम से संधारित किए जाएंगे तथा निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा–

(क) प्रत्येक मस्टर रोल अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में होगा और उसकी प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी विशिष्ट इलैक्ट्रॉनिक जनित पहचान संख्या (ई-मस्टर) होगी। मस्टर रोल के अंतर्गत उन सभी श्रमिकों के नाम, जिन्होंने कार्य की मांग की थी या जिन्हें कार्य आवंटित किया गया था, होंगे और ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

21. उपस्थिति दर्ज करना:

(1) कार्यस्थल पर उपस्थिति प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करते हुए दैनिक रूप से अभिलिखित की जाएगी और सभी उपस्थिति ब्यौरे दैनिक आधार पर अभिहित प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक अवलोकन हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे।

22. काम की माप :

(1) मजदूरी का संदाय केवल माप पर आधारित होगा जो मस्टर रोल की समाप्ति के तीन दिन के भीतर अधिकृत तकनीकी कर्मी द्वारा कार्यस्थल पर किया जाएगा तथा निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप में अभिलिखित होगा।

(2) राज्य शासन, समय पर माप के लिए पर्याप्त तकनीकी कर्मियों का अभिनियोजन सुनिश्चित करेगी। उपयुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा तथा उन्हें प्रत्यायोजित तकनीकी उत्तरदायित्वों के साथ अभिनियोजित किया जा सकेगा और कुशल श्रमिक दरों पर उन्हें मजदूरी संदत्त की जाएगी।

अध्याय- 09

मज़दूरी का भुगतान और विलंबित भुगतान

23. मज़दूरी का भुगतान :

(1) मज़दूर को भुगतान की जाने वाली मज़दूरी की दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित की जाएगी।

(2) दैनिक मज़दूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा, या किसी भी स्थिति में, कार्य किये जाने की तिथि से एक पखवाड़े (15 दिन) के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

24. भुगतान का तरीका :

मज़दूरी का भुगतान, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा छूट न दी गई हो, संबंधित बैंकों या डाकघरों में मजदूरों के व्यक्तिगत बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा।

25. विलंब के लिए प्रतिकर:

(1) यदि मस्टर रोल को बंद करने की तारीख के पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है, तब मजदूरी की वांछा करने वाले व्यक्ति मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद विलंब के लिए असदंत्त प्रतिदिन मजदूरी के 0.05% की दर से, प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) उस तारीख से जिससे प्रतिकर संदेय हो जाता है, पंद्रह दिनों के पश्चात् किसी विलंब को मजदूरी के संदाय में विलंब के समान ही माना जाएगा।

(3) मजदूरी संदाय के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने और विभिन्न पदाधिकारियों या अभिकरणों की जवाबदेही की गणना के प्रयोजन के लिए राज्य, मजदूरी के निर्धारण और संदाय की प्रक्रियाओं को विभिन्न चरणों में विभाजित करेगा जैसे कि -

(क) कार्य का मापन;

(ख) मस्टर रोल का कम्प्यूटरीकरण;

(ग) माप का कम्प्यूटरीकरण;

(घ) मजदूरी की सूचियों का सृजन करना; और

(ङ) निधि अंतरण आदेश अपलोड करना और प्रत्येक चरण के लिए अधिकतम समय-सीमा निर्धारित करेंगे, साथ ही उस पदाधिकारी अथवा अभिकरण को भी निर्दिष्ट करना जो संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु उत्तरदायी है।

(4) कम्प्यूटर प्रणाली में, मस्टर रोल बंद होने की तारीख और मजदूरी चाहने वालों के खातों में मजदूरी जमा होने की तारीख के आधार पर प्रतिकर संदेय की स्वचलित गणना का प्रावधान होगा।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी समय सीमाओं के भीतर सम्यक् सत्यापन के पश्चात् अग्रिम रूप में प्रतिकर का संदाय करेंगे और ऐसे पदाधिकारियों या अभिकरणों से, जो कि संदाय के विलम्ब के लिए उत्तरदायी हैं, प्रतिकर की रकम वसूल करेंगे।

(6) विलम्ब के दिनों की संख्या, संदेय और वास्तविक रूप से संदत्त प्रतिकर, प्रबंधन सूचना प्रणाली में परिलक्षित होगा।

अध्याय-10

बेरोज़गारी भत्ता

26. पात्रता :

(1) यदि स्कीम के अधीन रोजगार के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो पंद्रद दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

(2) परंतु यह कि कोई ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के मजदूरी दर से एक चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगी।

27. प्रक्रिया :

(1) गृहस्थी के किसी आवेदक को संयुक्त रूप से संदेय बेरोजगारी भत्ता, कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (जिसके अंतर्गत जिला, जनपद या ग्राम पंचायत शामिल है) स्वीकृत और संवितरित किया जाएगा जिसे राज्य शासन इस निमित प्राधिकृत करने हेतु विहित करे।

(2) बेरोजगारी भत्ते का प्रत्येक संदाय उस तारीख से जिसको यह संदाय के लिए शोध्य हो जाता है, पंद्रह दिन अपश्चात किया जाएगा अथवा प्रस्तावित किया जाएगा।

अध्याय -11

कार्य की श्रेणियाँ और हितग्राहीमूलक कार्यों के लिए पात्रता मानदण्ड

28. योजना अंतर्गत कार्य और श्रेणियाँ :

(1) योजना का केन्द्र बिंदु - कार्यों का वर्गीकरण : यह योजना निम्नलिखित कार्यों की श्रेणियों पर केंद्रित होगी, जिन्हें विकसित ग्राम पंचायत योजना में चिन्हित किया गया है तथा विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में संकलित किया गया है।

(2) इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आएंगे, जिनमें उनका विषयगत उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम भी शामिल हैं, अर्थात् : -

(अ) श्रेणी 1- जल-संबंधित कार्य (जल सुरक्षा हेतु):-

अ. इस श्रेणी के कार्यों का फोकस जल संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, जल स्रोतों की संवहनीयता, जल निकायों का पुर्नजीवन, वाटरशेड विकास और वनीकरण होगा और दृष्टांत कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं -

i. नहरों, बाढ़ या डायवर्जन चैनलों, चेक डैम, गली प्लग और भूमिगत डाइक का निर्माण;

ii. तालाबों, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज पिट, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन कुओं और उनसे जुड़ी जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण या पुनर्जीवन;

iii. सिंचाई के लिए कुंऐं, सूक्ष्म-सिंचाई चैनल और खेत जल वितरण प्रणालियाँ;

iv. सामुदायिक जलभराव वाली भूमि का पुनरुद्धार;

v. मृदा और नमी संरक्षण से जुड़े वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य; और

vi. रूफटॉप वर्षा जल संचयन और अन्य विकेंद्रीकृत पुनर्भरण प्रणालियाँ;

vii. रिचार्ज सिस्टम।

(आ) **अपेक्षित परिणाम** - समेकित जल संसाधन प्रबंधन, पुनर्भरण के माध्यम से जल सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा दीर्घकालिक जलवायु प्रतिरोधकता का संरक्षण करना।

ब. श्रेणी 2 —मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना :

अ. इस श्रेणी के विषयगत फोकस में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, संपर्कता, नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक सेवाओं से संबंधित मूलभूत नागरिक, सामाजिक, सुशासन एवं सेवा वितरण अवसंरचना शामिल होगी और दृष्टांत कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं -

i. ग्रामीण सड़कों, पुलियों, क्रॉस - ड्रेनेज संरचनाओं और ग्रामीण संपर्कता संबंधी सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन;

ii. ग्राम पंचायत भवनों, आँगनवाड़ी केंद्रों, ग्रामीण पुस्तकालयों और अन्य लोक भवनों का निर्माण;

iii. विद्यालय अधोसंरचना का निर्माण, जिसमें किचन शेड, अतिरिक्त कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, बाउण्ड्रीवाल और खेल के मैदान सम्मिलित हैं;

iv. श्मशान घाट और सामुदायिक अधोसंरचनाएं;

v. ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित परिसंपत्तियाँ, जिसमें स्टेबलाइजेशन तालाब, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, तथा अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण केंद्र शामिल हैं;

vi. सौर प्रकाश प्रणालियों और अन्य नवीकरणीय ग्रामीण ऊर्जा अवसंरचना स्थापित करना;

vii. गाँव के पार्किंग क्षेत्र, परिवहन शेड और अन्य सामान्य ग्रामीण सुविधाएँ;

viii. केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत अनुमत ग्रामीण आवास कार्य, जिसमें 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत अनुमत कार्य भी शामिल हैं; और

ix. जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव।

आ. **अपेक्षित परिणाम**– मूलभूत नागरिक और सामाजिक अधोसंरचनाओं का निर्माण, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, बेहतर सेवा पहुंच और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो।

ग. श्रेणी 3-आजीविका-संबंधित अवसंरचनाएं-

(अ) इस श्रेणी के विषयगत फोकस में कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, मूल्य संवर्धन, कौशल विकास और उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने वाली उत्पादक परिसम्पत्तियां एवं सुविधायें सम्मिलित होंगी; और दृष्टांत कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-

i. आजीविका गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण-सह-कौशल विकास केंद्रों और कार्य शेडों का निर्माण;

ii. ग्रामीण हाट या साप्ताहिक बाजार और अन्य बाजार अधोसंरचनाएं;

iii. खाद्यान्न भंडारण भवन, कृषि उपज भंडारण संरचनाएं, कोल्ड स्टोरेज इकाइयां और अन्य कृषि-मूल्य श्रृंखला अधोसंरचनाएं;

iv. स्वयं सहायता समूहों और महासंघ-स्तरीय संस्थाओं के लिए भवन;

v. कम्पोस्ट संरचनाएं, जिनमें वर्मीकम्पोस्ट और नाडेप इकाइयां शामिल हैं;

vi. सिल्वीपाश्चर, घांस के मैदानों का विकास, डेयरी अधोसंरचनाएं और मवेशियों, बकरियों, सूअरों, मुर्गी पालन तथा अन्य पशुओं के लिए आश्रयस्थल;

vii. मत्स्य पालन-संबंधी अधोसंरचनाएं जिसमे मछली सुखाने के यार्ड सम्मिलित हैं;

viii. नर्सरी विकास और भवन सामग्री उत्पादन; और

ix. चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडलों को प्रोत्साहित करने वाली एकीकृत परियोजनाएँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाये।

(आ) **अपेक्षित परिणाम** - सतत् आजीविका, मूल्य संवर्धन, उद्यम विकास और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

घ. **श्रेणी 4–** चरम मौसम की घटनाओं और आपदाओं के प्रभाव को कम करने लिए विशेष कार्य और आपदा से निपटने की तैयारी :

(अ) इस श्रेणी के विषयगत फोकस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा ग्रामीण समुदायों और परिसम्मपत्तियों को बाढ़, चक्रवात, तूफ़ान, सूखा, भूस्खलन, जंगल की आग और अन्य चरम मौसम की घटनाओं से सुरक्षा शामिल होगी, और दृष्टांत कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं -

i. चक्रवात आश्रय स्थलों, बाढ़ आश्रय स्थल और बहुउद्देशीय आपदा-रोधी संरचनाओं का निर्माण;

ii. डायवर्जन चैनलों, तटबंधों का निर्माण और अन्य आपदा-शमन कार्य;

iii. बाढ़ प्रबंधन के लिए स्टेबलाइजिंग तालाब और जल संरचनाएं;

iv. आपदा पश्चात पुनर्वास, ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक संपत्तियों की पुर्नबहाली और मरम्मत;

v. विंडब्रेक और शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण; और

vi. वन अग्नि प्रबंधन कार्य, जिसमें आग रोकने वाली पट्टियाँ, ईंधन बफर ज़ोन और संबंधित उपाय शामिल हैं।

(आ) **अपेक्षित परिणाम** - चरम मौसम की स्थितियों का सामना करने में सक्षम जलवायु-प्रतिरोधी गांवों का निर्माण।

(3) कोई भी अन्य सार्वजनिक कार्य जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

(4) इस अधिनियम के तहत बनाई गई ग्रामीण लोक परिसंपत्तियों का रखरखाव।

(5) हितग्राहीमूलक कार्य, जिसमें प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत आवास संबंधी कार्य, स्वच्छता संबंधी कार्य और समय-समय पर केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू किए गये और योजना के तहत शामिल करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिसूचित अन्य लाभार्थी-उन्मुख विकासात्मक

कार्य भी लिये जा सकते हैं। ऐसे लाभार्थियों की पात्रता केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाऐगी, जो केन्द्र सरकार की संबंधित योजनाओं के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुरूप होगी, और ऐसे सभी कार्य केन्द्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों, मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।

29. हितग्राहीमूलक कार्यों के लिए लाभार्थी की पात्रता :

उपरोक्त की व्यापकता पर किसी प्रकार की प्रतिकूलता डाले बिना, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित कार्यों को निम्नलिखित गृहस्थियों के स्वामित्व वाली भूमि या आवास स्थल पर प्राथमिकता दी जाएगी -

(क) अनुसूचित जातियां ;

(ख) अनुसूचित जनजातियां ;

(ग) खानाबदोश जनजातियां ;

(घ) गैर-अधिसूचित जनजातियां ;

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित पहचान किए गए अनुसार आर्थिक रूप से समाज का कमजोर वर्ग ;

(च) महिला-मुखिया वाले गृहस्थी ;

(छ) दिव्यांग व्यक्ति मुखिया वाले गृहस्थी ;

(ज) भूमि सुधार के लाभार्थी;

(झ) प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अधीन लाभार्थी; और

(ञ) अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2), और

उपरोक्त श्रेणियों के तहत पात्र लाभार्थियों की सूची समाप्त हो जाने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए लघु या सीमांत कृषकों की भूमि पर भी कार्य लिए जा सकते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई शर्तों के अधीन होंगे। इसमें यह आवश्यकता शामिल होगी कि ऐसे गृहस्थियों के पास एक वैध जॉबकार्ड हो और उनमें कम से कम एक वयस्क सदस्य ऐसा हो जो अपने स्वामित्व की भूमि या या आवास स्थल हेतु स्वीकृत परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक हो।

29.1 वीबी-जी राम जी अधिनियम और योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियां संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जाएंगी तथा परिसंपत्तियों का संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। इस हेतु मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर जारी करेगी।

अध्याय– 12
कार्यस्थल प्रबंधन और सुरक्षा

30. कार्यस्थल पर सुविधाएं :

(1) कार्यस्थल पर कार्य में पारदर्शिता के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएंगी -

(क) परियोजना प्रारंभ के समय बैठक होगी जिसमें कार्य के विभिन्न उपबंधों को कर्मकारों को बताया जाएगा;

(ख) स्वीकृत कार्य आदेश की एक प्रति कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी;

(ग) प्रत्येक कार्य के माप अभिलेख और श्रमिकों का ब्यौरा सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा;

(घ) प्रत्येक कार्यस्थल पर एक नागरिक सूचना पटल लगाया जाएगा और उसे केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा;

(ङ) केन्द्र सरकार के अनुदेशों के अनुसार, स्थापित की गई सतर्कता और निगरानी समिति सभी कार्यों की जांच कर सकेगी और इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्रामसभा को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए व आराम करने के लिए छाया और मामूली चोटों तथा कार्य के निष्पादन से संबंधित अन्य स्वास्थ्य जोखिमों के आपात उपचार हेतु पर्याप्त सामग्री सहित 'प्राथमिक उपचार पेटी' की सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी।

(3) यदि किसी कार्यस्थल पर काम कर रही महिलाओं के साथ आए 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 05 या उससे अधिक है, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उन महिला श्रमिकों में से ही किसी एक को नियुक्त करने

का प्रावधान किया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति को सामान्य मजदूरी दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

31. सुरक्षा और दुर्घटनाएं :

(1) यदि स्कीम के अधीन किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन से उद्भूत किसी दुर्घटना और उसके क्रम में कोई शारीरिक क्षति होती है, तो वह यथा अपेक्षित निःशुल्क चिकित्सीय उपचार का हकदार होगा।

(2) जहां घायल श्रमिक को अस्पताल में भर्ती किया जाना आवश्यक है, वहां राज्य शासन, आवास, उपचार, औषधियों और ऐसे दैनिक भत्ते के संदाय, जो मजदूरी दर के आधे से अन्यून हो, के साथ अस्पताल में भर्ती किए जाने की व्यवस्था करेगी।

(3) यदि इस योजना के अधीन किसी नियोजित व्यक्ति की नियोजन के कारण या नियोजन के दौरान कोई दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो, यथास्थिति, तो उसे अथवा, यथा स्थिति उसके विधिक उत्तराधिकारियों को, जैसी भी स्थिति हो कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अधीन पात्रतानुसार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) यदि योजना के अधीन नियोजित किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आने वाले किसी बच्चे को दुर्घटना द्वारा शारीरिक क्षति कारित होती है तो ऐसा व्यक्ति निःशुल्क चिकित्सीय उपचार का हकदार होगा; और उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में राज्य शासन द्वारा यथा अवधारित विधिक अभिभावकों को अनुग्रह अनुदान का संदाय किया जाएगा।

अध्याय - 13

कृषि के मुख्य मौसम के दौरान कार्य करने पर प्रतिबंध

32. कृषि के मुख्य मौसमों की अधिसूचना :

राज्य शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अग्रिम रूप से 60 दिन तक की एक समयावधि या समयावधियों को अधिसूचित करेगी जिसमे बुआई और फसल कटाई के मुख्य कृषि सीजन हैं, इस अवधि के दौरान योजनान्तर्गत कोई कार्य नहीं लिया जा सकेगा।

33. क्षेत्र-विशेष अधिसूचनाएँ :

(1) राज्य शासन, राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, जिनके अंतर्गत जिले, ब्लाक या ग्राम पंचायतें भी है के लिए निम्न बातों का ध्यान रखते हुए सुभिन्न अधिसूचनाएं जारी कर सकती है-

(क) कृषि जलवायु क्षेत्रों;

(ख) कृषि क्रियाकलापों के स्थानीय पैटर्न; तथा

(ग) अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर।

(2) इस प्रावधान के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, अधिनियम और योजना के प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी होगी।

34. अधिसूचित अवधियों के दौरान कार्यों पर प्रतिबंध :

इस योजना के अंतर्गत कार्ययोजना बनाने, स्वीकृत करने या संकर्मों को निष्पादित करने हेतु जिम्मेदार सभी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचित मुख्य कृषि मौसमों में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किए जाएं।

35. कार्यों का समय-निर्धारण :

कार्यक्रम अधिकारी और अन्य कार्यान्वयन प्राधिकारी, संकलित 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' को अनुमोदित करते समय और कार्यों का समय-निर्धारण करते समय, यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य अधिसूचित मुख्य कृषि मौसमों की अवधियों के बाहर ही लिये जायें।

अध्याय - 14
प्राक्कलन, स्वीकृति और कार्य निष्पादन

36. प्राक्कलन :

(1) कार्यों के लिए, तकनीकी प्राक्कलन और मानक- इस योजना के तहत प्रत्येक कार्य के लिए एक डिज़ाइन और तकनीकी प्राक्कलन होगा, जो राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अधोसंरचना स्टैक' के साथ संरेखित फ्रेमवर्क के आधार पर स्वीकृत होगा।

(2) निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए, जहां तक संभव हो श्रम की उपलब्धता तथा स्थानीय सामग्रियों के उपयोग पर निर्भर करते हुए, समुचित श्रम-प्रधान तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

(3) सामग्री के देयकों मे, सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने हेतु स्पष्ट और सामान्य रूप से समझी जाने वाली शब्दावली का उपयोग किया जाएगा।

(4) प्रत्येक कार्य के साथ प्राक्कलन का सारांश, डिजाइन तथा तकनीकी नोट होगा, जो अपेक्षित प्रतिफल (आउट्कम) और परिणाम को उपदर्शित करता हो।

(5) सभी तकनीकी प्राक्कलन, डिजाइन तथा परिणाम संबंधी नोट निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जनरेट या अपलोड किए जाएंगे।

37. प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां -

(1) अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर अंतिम रूप दिए गए तथा जनपद और जिला स्तरों पर संकलित कार्यों को आवश्यकतानुसार और 30 दिवस समयावधि के भीतर समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(2) स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की –

(क) प्रस्तावित कार्यों को अनन्य रूप से अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना से ही लिया जाए;

(ख) वार्षिक योजनायें मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएँ।

(ग) कार्य, विषयगत डोमेन तथा विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के साथ संगत हों;

(घ) सभी स्वीकृत कार्य अधिनियम के अधीन अभिहित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किए जायें।

38. परिणामों और दरों की अनुसूची से मजदूरी का सहयोजन -

राज्य शासन यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी लैंगिक पूर्वाग्रह के मज़दूरी को, पूरे किए गए कार्य की मात्रा से जोड़ा जाये, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों और विभिन्न मौसमों के लिए टाइम-एण्ड-मोशन अध्ययनों के आधार पर अधिसूचित ग्रामीण दरों की अनुसूची के अनुसार होगी, और समय-समय पर संशोधित की जायेगी।

39. वंचित समूहों के लिए दरों की विशेष अनुसूची -

महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और दुर्बलताकारी रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त श्रेणियों के काम में उनकी उत्पादक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दरों की एक पृथक अनुसूची निर्धारित की जाएगी।

40. कार्य समय और आय के मापदंड -

(1) दरों की अनुसूची इस प्रकार तैयार की जाएगी कि एक वयस्क व्यक्ति आठ घंटे काम करने पर, जिसमें एक घंटे का विश्राम भी सम्मिलित हो, अधिसूचित मजदूरी दर के समतुल्य राशि अर्जित कर सके।

(2) किसी वयस्क श्रमिक के काम के घंटे लचीले हो सकते हैं, परन्तु आराम के अंतराल सहित एक दिन में बारह घंटे से अधिक नहीं होंगे।

41. **निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण -**

राज्य शासन गुणवत्ता मानकों का पालन, मापों की यथार्थता और मजदूरी भुगतान की वास्तविक निष्पादित कार्य मात्रा से अनुरुपता सुनिश्चित करने के लिए अभिहित गुणवत्ता नियंत्रण दल द्वारा कार्यों का नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी। निरीक्षण रिपोर्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली में अपलोड की जाएगी।

42. **चल रहे कार्यों की पूर्णता -**

नए कार्य प्रारंभ करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रगतिरत या अधूरे कार्यों को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाए, बशर्ते वे नियोजन मानदंडों और अनुमोदित 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' के अनुरूप हों।

43. मजदूरी-सामग्री अनुपात -

योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए सामग्री मद की लागत जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

44. ठेकेदारों के बिना कार्यान्वयन -

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत वित्त पोषित किसी भी कार्य या घटक के निष्पादन के लिए किसी ठेकेदार को नियोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य सक्रिय प्रकटीकरण तथा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया शामिल होगी।

(2) अभिसरण के प्रकरणों में, जहाँ किसी कार्य के कुछ हिस्से अन्य योजनाओं के तहत वित्तपोषित होते हैं, उन हिस्सों को पूरा करने में संबंधित अभिसरण योजना के मानदंडों का पालन किया ज़ा सकता है; इसमें उन मामलों में ठेकेदारों का उपयोग भी शामिल है जहाँ इसकी अनुमति हो।

(3) जहाँ तक व्यावहारिक हो, कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरे किए जाएंगे, और श्रम को विस्थापित करने वाली किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

45. सामग्री का पारदर्शी उपार्जन -

(1) कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्री ग्राम पंचायत या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट ई निविदा (ई-टेंडरिंग) प्रक्रियाओं सहित पारदर्शी उपार्जन प्रणालियों के माध्यम से उपार्जित की जाएगी।

अध्याय – 15
निधि अंतरण प्रकिया और वित्तीय व्यवस्था

46. निधि अंतरण प्रक्रिया -

(1) यह योजना केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू की जाएगी।

(2) केंद्र सरकार और राज्य शासन के बीच लागत साझाकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार और राज्य शासन के बीच निधि 60:40 के अनुपात में साझा होगी।

47. वित्तीय व्यवस्थाएँ -

(1) **राज्य-वार मानक आवंटन:** केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य-वार मानक आवंटन निर्धारित करेगी, जो समय-समय पर संसूचित किए जाने वाले उद्देश्य अनुरूप मापदंडों पर आधारित होगा।

(2) **मानक आवंटन से अधिक व्यय :** राज्य शासन द्वारा, मानक आवंटन से अधिक किया गया कोई भी व्यय राज्य शासन स्वयं वहन किया जायेगा।

(3) **केंद्रीय भागीदारी :** स्वीकृत आवंटन के भीतर, केंद्र सरकार की भागीदारी में निम्नलिखित मदों पर होने वाला व्यय शामिल होगा -

(क) इस स्कीम के अधीन नियोजित अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी का संदाय ;

(ख) पहली अनुसूची के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यों का सामग्री घटक ;

(ग) ऐसे प्रशासनिक व्यय, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं-

क. कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक स्टाफ का वेतन और भत्ते,

ख. केंद्रीय परिषद का प्रशासनिक व्यय,

ग. अनुसूची-II के तहत आवश्यक सुविधाएँ, और

घ. इस प्रकार के अन्य मद।

(4) **राज्य की भागीदारी :** स्वीकृत आवंटन के भीतर, राज्य शासन की भागीदारी में निम्नलिखित मदों पर होने वाला व्यय शामिल होगा -

(क) इस स्कीम के अधीन नियोजित अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी का संदाय ;

(ख) पहली अनुसूची के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यों का सामग्री घटक ;

(ग) ऐसे प्रशासनिक व्यय, जो राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं -

i. कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक स्टाफ का वेतन और भत्ते,

ii. राज्य परिषद का प्रशासनिक व्यय,

iii. अनुसूची-II के तहत आवश्यक सुविधाएँ, और

iv. इस प्रकार के अन्य मद।

(5) **बेरोज़गारी भत्ता और विलंब प्रतिकर :** राज्य शासन योजनान्तर्गत भुगतान योग्य बेरोज़गारी भत्ता और विलंब प्रतिकर के लिए व्यय का वहन करेगी जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित/जारी किए गए प्रावधानों के अनुसार होगा।

(6) **मानक आवंटन का राज्य में वितरण :** राज्य शासन, केन्द्र सरकार से अनुमोदित मानक आवंटन प्राप्त होने पर, ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण और ग्राम पंचायतवार आवंटन और तदनुसार जिला आवंटन निर्धारित करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिलों और ग्राम पंचायतों में आवंटन का न्यायसंगत, आवश्यकता आधारित और पारदर्शी वितरण राज्य के अन्दर सुनिश्चित करेगी, और इस तरह के वितरण के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली, मापदंड और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

(7) योजना के अधीन अनुमत प्रशासनिक व्यय में से, कम से कम एक तिहाई हिस्से का उपयोग ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, अन्य तकनीकी कार्मिकों को नियुक्त करने और भुगतान करने तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए किया जाएगा।

अध्याय — 16
पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रकटीकरण

48. सक्रिय प्रकटीकरण:

(1) सार्वजनिक प्रकटीकरण निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा और सार्वजनिक समीक्षा के लिए ग्राम स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्य का विवरण अनुमानित श्रम दिवस, स्थानीय शब्दावली में सामग्री की मात्रा और मदवार लागत दर्शाने वाला एक "जनता बोर्ड" प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) प्रदान किए गए रोजगार के दिवसों की संख्या, मजदूरी भुगतान, सामग्री भुगतान, अधिनियम के अधीन गारंटी, विकसित ग्राम पंचायत योजना के अधीन अनुमोदित कार्य, और ग्राम पंचायत और अन्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा वर्षवार किए गए या पूरे किए गए कार्य का डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन होगा।

(4) इस योजना के अधीन कार्यों, श्रम मांग, रोजगार प्रदान करने, भुगतान, सामग्री उपयोग और भौतिक प्रगति से संबंधित सभी सूचनाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण, निर्दिष्ट पोर्टल से एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा। साप्ताहिक प्रकटीकरण स्वत: सृजित होंगे और सार्वजनिक रूप से सुलभ डिजिटल प्रारूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत भवन में कार्यों की स्थिति, भुगतान, शिकायतें और अन्य सुसंगत जानकारी समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठकें आयोजित की जाएगी।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आधिकारिक वेबसाइटें, 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' (2005 का 22) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अनुपालन में नियमित रूप से अद्यतन (अपडेट) की जाएं, जिसमें अधिनियम से संबंधित समस्त जानकारी नि:शुल्क, डाउनलोड करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध हों।

(6) योजना से संबंधित मस्टर रोल सहित सभी लेखा और अभिलेख जनता द्वारा संवीक्षा के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई व्यक्ति इनकी प्रति या उसके सुसंगत अंश प्राप्त करना चाहता है तो, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्यदिवस के भीतर उसे ऐसी प्रतियाँ या अंश उपलब्ध कराए जाएंगे।

अध्याय –17

सामाजिक अंकेक्षण

49. सामाजिक अंकेक्षण का संचालन :

(1) इस योजना के अधीन सभी कार्य, व्यय और गारंटियाँ, केंद्र सरकार द्वारा विहित रीति से कम से कम प्रत्येक छह माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा के अध्याधीन होंगे।

(2) सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, मानक एवं कार्यप्रणाली केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार होगी।

(3) ऐसे नियमों के अधिसूचित होने तक, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लेखापरीक्षा नियम, 2011 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

50. निष्कर्षों का अनुपालन :

(1) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष ग्राम सभा में रखे जाएंगे।

(2) सुधारात्मक और वसूली संबंधी कार्रवाई बिना किसी विलंब के शुरू की जाएगी।

(3) की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एम.आई.एस. (प्रबंधन सूचना प्रणाली) में दर्ज की जाएगी।

(4) योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि के कोई भी गबन, राज्य में प्रचलित राजस्व वसूली के प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत वसूलने योग्य होगा।

(5) ऐसी वसूली का वह भाग जो केन्द्रांश से संबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

51. वार्षिक रिपोर्ट :

जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति जनता को भौतिक रूप में या लिखित रूप में इलैक्ट्रॉनिक रूप में, स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी।

अध्याय – 18

शिकायत प्रतितोषण, निवारण और लोकपाल

52. शिकायत प्रतितोषण तंत्र - इस अधिनियम के अधीन एक प्रभावी शिकायत प्रतितोषण तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटक होंगे अर्थात् :-

(1) वार्ड, ग्राम पंचायत, जनपद (ब्लॉक) एवं जिला स्तर पर शिकायत प्राप्त करने हतु संस्थागत व्यवस्था, तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक दिवस अभिहित करना, जब अधिकारी अनिवार्य रूप से शिकायतें प्राप्त करने हेतु उपलब्ध रहेंगे।

(2) प्रत्येक श्रमिक को सुनवाई का अवसर मिलेगा और वह योजना के तहत शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के अनुसार निराकरण के लिए सभी कार्यान्वयन स्तरों पर मौखिक या लिखित रूप से किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकेगा।

(3) किसी भी अधिकृत पदाधिकारी को लेखबद्ध, दूरभाष द्वारा, ऑनलाइन या मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई सभी शिकायतों के लिए तारीख के साथ पावती जारी की जाएगी;

(4) स्थल सत्यापन या निरीक्षण के माध्यम से जांच, शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी;

(5) जांच पूरी होने पर, संबंधित प्राधिकारी तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करेगा और शिकायत का समाधान पंद्रह दिवस के भीतर किया जाएगा;

(6) निर्धारित स्तर पर सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निपटान न होना इस अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन माना जाएगा और इस अधिनियम की धारा 27 या किसी तत्संबंधी उपबंध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;

(7) यदि प्रारंभिक जांच के दौरान या सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों के माध्यम से वित्तीय अनियमितता के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य सामने आते हैं, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक विधिक सलाह प्राप्त करने के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है;

(8) संबंधित प्राधिकारी शिकायतकर्ता को लेखबद्ध भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यम से, जांच के निष्कर्षों और निवारण के लिए किए गए उपायों के संबंध में सूचित करेगा;

(9) सभी कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई को समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखा जाएगा;

(10) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष की जाएगी; कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष की जाएगी; जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरुद्ध अपील राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरण या राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित किसी अधिकारी के समक्ष की जाएगी;

(11) सभी अपीलें आदेश की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर दायर की जा सकेंगी;

(12) सभी अपीलों के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर निपटान किया जाएगा;

(13) वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर पंद्रह दिवस के भीतर निपटान न होने वाली कोई भी शिकायत अभिहित प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से स्वचालित रूप से अगले उच्चतर स्तर पर बढ़ा दी जाएगी और ऐसे सभी मामलों की इलैक्ट्रॉनिक रूप से निरंतर निगरानी की जाएगी।

53. अभिलेख अनुरक्षण और शिकायत प्रतितोषण प्रणाली -

ग्राम पंचायत, ऐसे रजिस्टर वाऊचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, तैयार और संधारित करेगी या तैयार और संधारित करवाएगी जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों और जारी की गई पासबुकों का विवरण और गृहस्थी के मुखिया तथा गृहस्थियों के वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे।

54. लोकपाल -

राज्य शासन प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करेगी जो केंद्र और राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार शिकायतें प्राप्त करेगा, जांच करेगा और अधिनिर्णय जारी करेगा। लोकपाल इस अधिनियम के अधीन अभिहित डिजिटल पोर्टल से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करेगा।

अध्याय –19

अनुश्रवण, निरीक्षण और मूल्यांकन

55. अनुश्रवण :

(1) राज्य शासन, राज्य, ज़िला और जनपद स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

(2) एम.आई.एस.(प्रबंधकीय सूचना प्रणाली) में डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संधारित की जाएंगी।

56. निरीक्षण :

प्रत्येक वर्ष प्रत्येक स्तर पर कार्यों का निम्नानुसार न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा :-

(1) **ग्राम पंचायत स्तर पर** - वर्ष के दौरान निष्पादित 100% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

(2) **जनपद स्तर पर** - संबंधित जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निष्पादित कम से कम 60% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

(3) **ज़िला स्तर पर** - संबंधित ज़िले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निष्पादित कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

(4) **राज्य स्तर पर** - पूरे राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निष्पादित कम से कम 2% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

57. मूल्यांकन :

(1) परिणामों और प्रभावों का आकलन करने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाएंगे ।

(2) मापन योग्य परिणामों और वास्तविक समय में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सत्यापित डेटा प्रणालियों और स्थानिक प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित कार्य निष्पादन और पूर्णता के बाद परिसंपत्ति परिणामों को ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम निगरानी को अनिवार्य किया जाएगा। साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण को एक व्यापक पारदर्शी फ्रेमवर्क के माध्यम से सुदृढ़ किया

जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक समवर्ती मूल्यांकन तंत्र निरंतर सतर्कता प्रदान करेगा और समय पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम करेगा।

58. उल्लंघन के लिए दंड तथा गबन की गई राशि की वसूली -

(1) जो कोई भी अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो रूपये दस हजार तक हो सकता है।

(2) योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि के कोई भी गबन, राज्य में प्रचलित राजस्व वसूली के प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत वसूलने योग्य होगा।

(3) ऐसी वसूली का वह भाग जो केन्द्रांश से संबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय–20

प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन

59. प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन :

(1) राज्य शासन, योजना की प्रभावी आयोजना, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता संवर्धन और उन्हें सशक्त बनाने हेतु एक समर्पित योजना तैयार और कार्यान्वित करेगी।

(2) क्षमता संवर्धन योजना में, अन्य विषयों के साथ-साथ, निम्नलिखित से संबंधित गतिविधियाँ शामिल होंगी:-

(क) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को इस योजना के तहत उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों पर प्रशिक्षण;

(ख) इस योजना के प्रावधानों, पारदर्शी प्रणालियों और सामुदायिक भागीदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग;

(ग) प्रबंधन सूचना प्रणालियों जियो-टैगिंग टूल और अन्य डिजिटल प्रणालियों के उपयोग पर डिजिटल साक्षरता और ओरियंटेशन;

(घ) पंचायती राज संस्थाओं में रिकॉर्ड संधारण, वित्तीय प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामाजिक अंकेक्षण और परिसंपत्ति रखरखाव के लिए संस्थागत प्रणालियों को मज़बूत बनाना।

(3) प्रत्येक वर्ष, आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन कार्ययोजना तैयार की जाएगी, और इसे योजना के अंतर्गत राज्य प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्ययोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(4) पंचायती राज संस्थाएँ ऐसे क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन में पूरा सहयोग देंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी इनमें भाग लें।

(5) इस प्रावधान के तहत की जाने वाली गतिविधियों पर होने वाला व्यय, अनुमत प्रशासनिक और क्षमता संवर्धन मदों से किया जायेगा, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

अध्याय - 21

समापन सूत्र

इस योजना को अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाएगा। किसी भी विसंगति की स्थिति में, अधिनियम के प्रावधान ही मान्य होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभा निकुंभ, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.